(a) whether the prices of essential commodities are fixed in the Super Bazar day to day on the basis of open market prices system ; and

(b) if so, the details thereof and the stops Government propose to take to stabilise the prices of essential commodities so that the consumers are not affected everyday ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b) The prices of essential commodities in the Super Bazar follows an active price Super Bazar are not fixed day to day on the basis of open market price system policy in as much as it endeavours to keep its prices competitive with the open market. In the event of a rise in the wholesale price of any commodity, Super Bazar does not increase its prices as long as existing stocks purchased at lower prices are available. In the case of decline in market prices, Super Bazar reduces its prices even if the stock held by it was purchased at a higher rate. In order to avoid frequency of price revision, the Super Bazar generally, reviews its prices once in a week. Super Bazar is also selling thirty-three essential items on "No profit No loss" basis.

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए भण्डारण सुविधाएं

*225. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छोटे और सीमान्त किसानों के उत्पादों को रखने के लिये निकटतम स्थान पर ही भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को प्रदान करने पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है और यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है ? और

(ग) इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) यह मंत्रालय पहले से ही ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की स्कीम को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि उत्पादकों विशेष रूप से लघु और सीमान्त कृषकों को भण्डारण की सुविधाएं प्रदान करना है ।

(ख) सितम्बर, 1979 में ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की स्कीम के आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 1984 तक 2956 गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं जिनसे 14.42 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण की क्षमता बढ़ेगी और इस कार्य के लिए 973.22 लाख रु. की केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जा चुकी है वर्ष 1984-85 के लिए इस योजना का बजट आबंटन 500 लाख रु. का है और 4 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस योजना से कितने किसानों को लाभ होने की सम्भावना है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है ।

विश्व बैंक की सहायता से कार्य करने वाली मछली पालन विकास ऐजेंसियां

*226 **श्री डी. एस. नेगी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से तथा नलजीव विकास योजना के अन्तर्गत कितनी मछली पालन विकास एजेंसियां कार्य कर रही है और वे कब से कार्य कर रही हैं;

(ख) इन ऐजेंसियों से मछली पालन का काम करने वाले कितने आदमियों को अब तक लाभ हुआ है और उनकी राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मछली पालन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कोई उपाय किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से 1973-74 में पहली बार मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात 1980-81 में विश्व बैंक की सहायता से अन्तदेशीय मात्स्यकी परियोजना आरम्भ की गई थी जिसके तहत अभी तक 82 मछुआ विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास योजना के तहत भी 65 मछुआ विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है।

वैज्ञानिक मछली-पालन में प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है।

आन्ध्र प्रदेश-802; असम-1259; बिहार-8447; गुजरात-441; हरियाणा-1069; कर्नाटक-671; केरल-525; महाराष्ट्र-658; मध्य प्रदेश- 3897; मणिपुर-225; राजस्थान-694; नागालैण्ड-46; उड़ीसा-6764; पंजाब-1050; तमिलनाडु-1236; त्रिपुरा-1437; उत्तर प्रदेश-10,227! पश्चिम बंगाल-6020;

यह प्रशिक्षण दिये जाने के अलावा प्रशिक्षित किए गए इन मछुओं में से कुछ को तालाब तथा टैंक आवंटित किए गए हैं और मछली पालन की आधुनिक विधियों को अपनाने के लिए उन्हें ऋण तथा राज-सहायता दी गई है।

मछली पालन का आधुनिकीकरण करने के लिए दिए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ नीचे दिये गए हैं :—

(1) टैंक तथा तालाबों को दीर्घावधि के आधार पर पट्टे पर दिया जाना ;

(2) मछुओं को प्रशिक्षण देना ;

(3) टैंक तथा तालाबों के सुधार के लिए और पहले वर्ष आदानों के लिए राजसहायता ;

(4) संस्थागत वित्तीय सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाओं को तैयार करने में सहयोग का दिया जाना ;

(5) मछुओं को निरन्तर रूप से तकनीकी तथा विस्तार संबंधी सहायता का दिया जाना ;

(6) अधिक उत्पादन देने वाली मत्स्य पालन की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन ; तथा

(7) भारी मात्रा में उत्पादन बढ़ाया जाना तथा बेहतर किस्म के डिम्पोना का वितरण ।

राजस्थान नहर का गढरी रोड तक विस्तार

*227 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने लीलवा शाखा अर्थात् सागरमल गोपा शाखा को गढरा रोड तक विस्तार करने की फलों कैनाल स्कीम का व्यापक सर्वेक्षण कर परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है

(ख) यदि हां तो क्या विस्तुत सर्वेक्षण संबंधी परियोजना प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) इस योजना को वित्तीय स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस योजना को कब तक वित्तीय स्वीकृति दे दी जायेगी और उसका कार्य उसका कार्य आरंभ कर दिया जायेगा; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए विशेष सहायता देकर इसके कार्यान्वियन में सहायता करेगी और यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर की सागरमल गोपा (लीलवा) शाखा का गढरा रोड तक विस्तार करने हेतु परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की है ।

(क) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) सिंचाई राज्य विषय होने के कारण इस परियोजना की वित्त-व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से की जानी है ।

Decision Taken by Central Insecticides Board

2044. SHRI RAMPRASAD AHIRWAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the current members of Central Insecticides Board under section 4 of the Insecticides Act, 1968 and what are the salient features of the decisions taken by this Board in its last three meetings ;

(b) who are the current members of the Registration Committee under the Act and what are the major decisions taken by this Committee under section 5 of the Act during each of its last three meetings ; and

(c) the names and other details of institutions which are discharging the functions of Central Insecticides Laboratory under section 16 of the Insecticides Act ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) (a) A list of the current ex-officio/ nominated Members of the Central Insecticides Board is given in Statement I.

During the last three meetings, the Board has been reviewing the functioning of the Registration Committee, the